सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022
Phalguna 04, Wednesday , Saka 1943- February 23, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 22, 2022

संख्या प.10(6)नविवि/3/81 पार्ट-1:-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.10.2021 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 25.10.2016 द्वारा अधिसूचित भीलवाड़ा शहर नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान - 2035 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 28.12.2021 में न्यास क्षेत्राधिकार में तैयार किये गये जोनल डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में एवं न्यास मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया है कि भीलवाड़ा मास्टर प्लान- 2035 में मौके की वस्तुस्थिति मध्यनजर मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार न्यास के प्रस्ताव में लिये गये निर्णय एवं न्यास के प्रस्ताव अनुसार भीलवाड़ा मास्टर प्लान- 2035 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त भीलवाड़ा मास्टर प्लान- 2035 संशोधित की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नवनीत कुमार,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

2581
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।